

माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
(मामले के कथन के साथ तीन प्रतियों में फाइल किया जाएगा जिसके साथ भौगोलिक उपदर्शन की पांच अतिरिक्त समाकृतियां होंगी)
एक समाकृति दिए गए स्थान पर लगाई जाएगी और पांच अन्य पृथक रूप से भेजी जाएंगी

प्रत्य भौ. उ. 1

| | | |
|---|--|--|
| क | रजिस्टर के भाग क में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा 11 (1) नियम 23 (2) फीस: 5,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 क देखें) | |
| ख | रजिस्टर के भाग क में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अभिसमय देश से आवेदन धारा 11 (1), 84 (1), नियम 23 (3) फीस: 5,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 ख देखें) | |

1. (क) द्वारा रजिस्टर के भाग क में आवेदन के साथ संलग्न भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए आवेदन किया जाता है:
 - आवेदक का नाम :
 - पता :
 - व्यक्तियों/उत्पादकों के संगम/संगठन/प्राधिकारी की सूची :
 - माल की किस्म :
 - विनिर्देश 3
 - भौगोलिक उपदर्शन का नाम (और विशिष्टियां):
 - माल का विवरण :
 - उत्पादन का भौगोलिक क्षेत्र और उसका नक्शा :
 - उद्भव का सबूत (ऐतिहासिक अभिलेख) :
 - उत्पादन का ढंग :
 - अद्वितीयता :
 - निरीक्षण निकाय
 - अन्य :

तथा उसके साथ (घ) के नाम में जिसका पता (ङ) है और जो उक्त माल के जिसके संबंध में भौगोलिक उपदर्शन है, उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और जिसका उक्त माल के संबंध में से सत्त उपयोग किया जा रहा है, (ग)..... को बाबत (ख) (ख) ढंग में के मामले का कथन भी है।

2. आवेदन में ऐसी विशिष्टियां समाविष्ट होंगी जिनकी मामले के कथन में नियम 32 (1) में मांग की गई है।
3. इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।
4. किसी अभिसमय देश से किसी आवेदन की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्टियां भी दी जाएंगी :—
 - (क) भौगोलिक उपदर्शन के उद्भव के देश का अभिनाम
 - (ख) भौगोलिक उपदर्शन के, उसके अपने उद्भव के देश में विद्यमान संरक्षण के बारे में साक्ष्य जैसे ऐसे प्रलेख के हक और सुसंगत विधायी या प्रशासनिक उपबंधों की तारीख, न्यायिक विनिश्चयों या रजिस्ट्रीकरण की तारीख और संख्या तथा ऐसे प्रलेख की प्रतियां

(5) हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

| | |
|---|---|
| ग | विभिन्न वर्गों के अंतर्गत आने वाले माल के लिए रजिस्टर के भाग क में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन धारा 11 (3) नियम 23 (5) फीस: 5,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 ग देखें) |
| घ | विभिन्न वर्गों के अंतर्गत आने वाले माल के लिए रजिस्टर के भाग क में भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी अभिसमय देश से एकल आवेदन धारा 11 (3), नियम 23 (4) फीस: 5,000 रुपए (पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1 घ देखें) |

1. (क) द्वारा रजिस्टर के भाग क में आवेदन के साथ संलग्न भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए आवेदन किया जाता है :

- आवेदक का नाम :
- पता :
- व्यक्तियों/उत्पादकों के संगम/संगठन/प्राधिकारी की सूची :
- माल की किस्म :
- विनिर्देश :
- भौगोलिक उपदर्शन का नाम (और विशिष्टियां) :
- माल का विवरण :
- उत्पादन का भौगोलिक क्षेत्र और उसका नक्शा :
- उद्भव का सबूत (ऐतिहासिक अभिलेख) :
- उत्पादन का ढंग :
- अद्वितीयता :
- निरीक्षण निकाय
- अन्य :

तथा उसके साथ (घ) के नाम में जिसका पता (ङ) है और जो उक्त माल के जिसके संबंध में भौगोलिक उपदर्शन है, उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और जिसका उक्त माल के संबंध में से सत्त उपयोग किया जा रहा है,

(i) ख की बाबत वर्ग क

(ii) ख की बाबत वर्ग क

(iii) ख की बाबत वर्ग क

वर्ग में के मामले का कथन भी है।

2. आवेदन में ऐसी विशिष्टियां समाविष्ट होंगी जिनको मामले के कथन में नियम 32 (1) में मांग की गई है।

3. इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेंगी।

(5) हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

अनुदेशों के लिए कृपया पृष्ठ की दूसरी ओर देखें

भौ. उ.-1 क से 1घ

रजिस्ट्रार, भौगोलिक उपदर्शन,

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का कार्यालय ।

(क) जो लागू न हो उसे काट दें।

(ख) यदि माल का वर्ग ज्ञात नहीं है तो रजिस्ट्रार का निदेश अभिप्राप्त किया जाए।

(ग) यहां माल को विनिर्दिष्ट करें। एक या उसी वर्ग में सम्मिलित माल को भी विनिर्दिष्ट किया जाए

(घ) आवेदक का पूरा नाम, वर्णन (आवेदक की उपजीविका, आजीविका तथा राष्ट्रिकता) सुपट्ट्य रूप में लिखें। निगमित निकाय या फर्म की दशा में, याथास्थिति, निगमन का देश या फर्म को गठित करने वाले भागीदारों के नाम, तथा उसके विवरण और रजिस्ट्रीकरण की प्रकृति, यदि कोई हो, बताई जानी चाहिए, नियम 15 देखिए।

(ङ) आवेदक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर।